रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3595] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2017/पौष 8, 1939
No. 3595] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2017/PAUSHA 8, 1939

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2017

विषय : विभिन्न मार्किटों (सरोजिनी नगर मार्किट, खान मार्किट और ग्रीन पार्क एक्सटेंशन आदि) के ऊपरी आवासीय तलों के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभारों का निर्धारण ।

का.आ. 4117(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (सं. 1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न मार्किटों जैसे (सरोजिनी नगर मार्किट, खान मार्किट और ग्रीन पार्क एक्सटेंशन आदि) के ऊपरी आवासीय तलों का उपयोग व्यावसायिक उपयोग के रूप में करने के लिए का.आ. सं. 1542(अ) दिनांक 10 जुलाई, 2012 द्वारा अधिसूचित दरों में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा उपयोग परिवर्तन प्रभारों की कम की गई दरों को अधिसूचित करता है। ये दरें इस शर्त पर अधिसूचित की जाती हैं कि व्यावसायिक दर और आवासीय दरों के बीच के अन्तर के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त दरें एकमुश्त परिवर्तन प्रभार के रूप मे वसूल की जाएँगी और यह इस शर्त के अधीन भी होगा कि भवन की आकृति एवं ढाँचा उसी रूप में रहेगा, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत मूल प्लान में अनुमोदित किया गया था।

तद्नुसार निम्नलिखित मार्किटों के ऊपरी तलों के उपयोग परिवर्तन प्रभारों की कम की गई दरों का विवरण निम्नानुसार होगा :

सरोजिनी नगर मार्किट, खान मार्किट और ग्रीन पार्क एक्सटेंशन आदि ।	**दरें (प्रति वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र लिए रुपयों में) 22,274/- रुपये**

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2017

Sub: Fixation of Use Conversion Charges on upper residential floors of various markets (Sarojini Nagar Market, Khan Market and Green Park Extension etc.)

S.O. 4117(E).—In exercise of the powers conferred by section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) the Delhi Development Authority with the prior approval of the Central Government in partial modification of the rates notified vide S.O. No. 1542(E) dated 10 July, 2012, hereby notifies reduced rates of use conversion charges for use of upper residential floors of various markets (Sarojini Nagar Market, Khan Market and Green Park Extension etc.) to commercial use subject to charging additional rates @ 25% of difference between the commercial rate and the residential rates as one time conversion charges and further subject to the condition that the building shall remain in the shape and structure as was approved in the original plan sanctioned by the competent authority.

Accordingly, the reduced rate structure for use conversion charges on upper floors of the following markets will be as under:—

Sarojini Nagar Market, Khan Market and Green Park Extension Etc.	**Rates (in Rs. Per Sqm. built up area) Rs. 22,274/-**

ये कम की गई दरें केवल 30 जून, 2018 तक लागू रहेंगी तथा निम्नांकित शर्तों के अधीन होंगी:—	**These reduced rates will remain in force only till 30th June, 2018 subject to the following conditions**:—
ii. जो मामले राजपत्र 10 जुलाई, 2012 के अधिसूचित दरों द्वारा निर्णीत हो चुके हैं उन्हें दुबारा से नहीं खोला जाएगा।	i. Conversion cases already finalized as per the charges mentioned in the Gazette Notification 10.07.2012 shall not be reopened.
ii. परिवर्तन प्रभार की प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी होगी।	ii. The procedure for conversion shall be kept simple and transparent.
[फा. सं. 100(10)2015/सीएल]	[F. No. 100(10)2015/CL]
डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव	D. SARKAR, Commr.-Cum-Secy.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.12.29 21:37:39 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.